

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/स्थाई/2010/ 77

दिनांक 21.1.11

—: आदेश :—

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 42 के अन्तर्गत निम्नांकित ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी जो कि ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2008 मे चयनित है, के द्वारा नियुक्ति पश्चात् 2 वर्ष का परीविक्षाकाल (Probation Period) उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने पर एतद्वारा स्थाई किया जाता है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	ग्रा. चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. कपिल शर्मा	14.01.74	18.09.08	17.09.10
2	डॉ. उषा होलानी (माहेश्वरी)	26.06.72	24.10.08	23.10.10
3	डॉ. प्रदीप गर्ग	11.07.83	26.09.08	25.09.10
4	डॉ. दौलतराम धाकड	18.10.80	26.09.08	25.09.10
5	डॉ. मनीष कुमार गोयल	12.03.80	06.10.08	05.10.10
6	डॉ. लियाकत हुसैन	03.04.75	08.10.08	07.10.10
7	डॉ. धीरेन्द्र नागर	15.08.75	03.10.08	02.10.10
8	डॉ. रोहित पारीक	23.07.77	01.10.08	30.09.10
9	डॉ. कृष्ण कुमार गुप्ता	02.09.80	30.09.08	29.09.10
10	डॉ. कमलेश कुमार शर्मा	24.04.75	24.09.08	23.09.10
11	डॉ. महेश चन्द मेहरा	18.01.74	26.09.08	25.09.10
12	डॉ. जितेन्द्र चौहान	05.03.78	13.10.08	12.10.10
13	डॉ. विजय कुमार रंजक	26.04.81	13.10.08	12.10.10

14	डॉ. विनोद शर्मा	03.06.71	23.09.08	22.09.10
15	डॉ. कृष्ण बिहारी मालव	18.05.74	17.10.08	16.10.10
16	डॉ. जहागीर खान	20.12.73	04.09.08	03.09.10
17	डॉ. निशान्त	12.12.79	31.10.08	30.10.10
18	डॉ. अमर चन्द बुनकर	09.04.78	23.09.08	22.09.10
19	डॉ. रामस्वरूप सिंह	25.05.80	10.10.08	09.10.10
20	डॉ. अजय कुमार गुप्ता	30.08.80	17.09.08	16.09.10
21	डॉ. मनोज कुमार पाटीदार	16.03.80	18.09.08	17.09.10

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / स्थाई / 2010 / २२

दिनांक २१.११.११

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड कराने की व्यवस्था करे।
7. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर